UPPG010006702022

IN THE COURT OF
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)
AT ,प्रतापगढ़ उ०प्र०
(Presided Over by पंकज कुमार श्रीवास्तव)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–६५/२०२२

उत्तर प्रदेश सरकार .... अभियोजन पक्ष।

बनाम

१– हलीम उर्फ खड़बड़ पुत्र कल्लू जाड़िया, निवासी ग्राम– परसई, थाना– नवाबगंज, जिला– प्रतापगढ़।

२– रिजवान पुत्र हारून, निवासी ग्राम– परसई, थाना– नवाबगंज, जिला– प्रतापगढ़।

..........अभियुक्तगण।

मु० अ० सं०– १९८/२०२१
धारा– ३६३, ३२५, ३२६, ३०८, ३७६डीए भा०द०सं०
व ५(जी)/६ पॉक्सो अधिनियम
थाना– नवाबगंज, जनपद– प्रतापगढ़।

दिनांकः ०२.११.२०२२

पत्रावली दंड के बिन्दू पर दिनांक ३१.१०.२०२२ को सुनी जा चुकी है। विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अभियुक्तगण भी जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण का भरा पूरा परिवार है। अभियुक्त हलीम उर्फ खड़बड़ आटो मकैनिक का काम करता है तथा विवाहित है, उसके एक पुत्र व एक पुत्री है तथा अभियुक्त रिजवान अविवाहित है, वह सिलाई का कार्य करता है, घर में उसके भाई–बहन व मां हैं।

अभियुक्तगण के परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर हैं। और उनका यह प्रथम अपराध है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण भविष्य में दुबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड देने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने अत्यन्त गंभीर अपराध किया है। उन्होंने कथन किया कि किसी व्यक्ति की हत्या में एक शरीर की मृत्यु होती है जबकि किसी बलात्कार के अपराध में एक आत्मा की मृत्यु होती है जो कत्तई क्षम्य नहीं है और अभियुक्तगण का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित भी है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य न सिर्फ अनैतिक है बल्कि अत्यन्त जघन्य भी है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया सामूहिक बलात्कार अत्यन्त क्रूरता पूर्वक किया गया है यदि अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से कम सजा दी जाती है तो दी गयी सजा उनके लिए कम होगी। अतः अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड देने की याचना की।

न्यायालय ने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक के बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इसमे कोई शक नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य के बाबत कितनी भी सजा दी जाए वो कम ही होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड की सजा क्यों दी जाए ? इस प्रश्न का जवाब देने के पहले अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को जो चोटें पहुंचायी गयी हैं उसका अवलोकन किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हैः–

- जोमेटिक बोन (आंख के नीचे वाली हड्डी) टूट गयी थी क्योंकि पीड़िता को किसी ठोस वस्तु द्वारा चोट पहुंचायी गयी थी।
- बांयी आंख के किनारे पर स्कैलर पर चोट का निशान ०.६ X ०.२ सेमी.। बांयी आंख का इन्टीरियर चैम्बर पूरी तरह से खत्म यानि की बांयी आंख से अन्धी। आंख के अन्दर खून व मवाद उपस्थित।
- दाहिने घुटने के जोड़ में टीबियल स्पाइन फ्रैक्चर।
- पीड़िता के सिर के बांयी टेम्पोरल पर ४ X ३ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के

साथ मौजूद था।

- बांयी आंख के नीचे और ऊपर सूजन थी। पीड़िता के बाये बांह के ऊपर ०६ X ०६ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था।
- जांघ वाले हिस्से पर ०३ X ०६ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था। बांये पैर में एक लिनियर ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था।
- दाहिने घुटने के जोड़ पर एक ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था और उसके नीचे पैर में सूजन थी जिसे छूने पर दर्द हो रहा था।
- पीड़िता के सिर के बांयी टेम्पोरल पर ०४ X ०३ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था।
- बांयी आंख के नीचे और ऊपर सूजन थी।
- पीड़िता के बाये बांह के ऊपर ०६ X ०६ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था।
- जांघ वाले हिस्से पर ०३ X ०६ सेमी. का ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था। बांये पैर में एक लिनियर ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था। दाहिने घुटने के जोड़ पर एक ऐब्रेजन पपड़ी के साथ मौजूद था और उसके नीचे पैर में सूजन थी जिसे छूने पर दर्द हो रहा था।

अभियुक्तगणों ने जिस प्रकार से पीड़िता के शारीरिक अंगों को चुन–चुन कर क्षति पहुंचायी है वह यह इंगित करती है कि अभियुक्तगण दिमागी रूप से जानबूझकर, मन–बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ्य दशा में मात्र अपनी वासना की पूर्ति के लिए पीड़िता के साथ न सिर्फ सामुहिक दुष्कर्म किये बल्कि उसको जानबूझकर ऐसी चोटें पहुंचायी कि वह जिन्दगी भर के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से अपाहिज हो जाए। अभियुक्तगण का यह कृत्य उनके मानसिक दिवालियापन एवं नारी जाति के प्रति उनके सोच को भी दर्शाती है और यह भी इंगित करती है कि अभियुक्तगण दिमागी रूप से जानबूझकर, मात्र अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी लड़की के साथ किस क्रूरता तक जा सकते हैं। यह समझ से परे है कि क्या अभियुक्तगण पीड़िता को जानवर समझ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से क्रूरता पूर्वक एवं कायराना हरकत अभियुक्तगणों ने किया है वैसी हरकत कोई व्यक्ति किसी जानवर के भी साथ नहीं करता है। लोग

जानवरों को भी सम्मान देते है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण ने पीड़िता को इस लायक भी नहीं समझा कि उसके साथ बलात्कार के अलावां ऐसी कोई शारीरिक चोट न पहुंचायी जाए जिससे कि उसका जीवन ही बरबाद हो जाए और वह स्वयं का चेहरा आइने में देखने से डरने लगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब ए.आई.आर. १९८० (पांच न्यायधीशगण पीठ), माछी सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब ए.आई.आर. १९८३, देवेन्द्र पाल सिंह बनाम स्टेट आफ एनसीटी आफ देलही ए.आई.आर. २००२, पुरषोत्तम दशरथ वोराटे व अन्य बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र २०१५ (तीन न्यायधीशगण पीठ), मुकेश बनाम अन्य बनाम स्टेट आफ एनसीटी आफ देलही २०१७ (तीन न्यायधीशगण पीठ), मनोज बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश २०२२ (तीन न्यायधीशगण पीठ), मनोज सूर्यवंशी बनाम स्टेट आफ छत्तीसगण २०२२ (तीन न्यायधीशगण पीठ) में यह अवधारित किया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की जाती है तो वह मृत्यु दण्ड का दोषी तभी होगा, जब उसके द्वारा किया कृत्य रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आये। कहने का मतलब यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है तो उसको मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है बशर्ते की उसका मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आये। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति के हत्या के मामले में अभियुक्त तब तक मृत्यु दण्ड पाने का अधिकारी नहीं होता है, जब तक कि उस हत्या को क्रूरता पूर्वक या पैशाचिक ढ़ंग से न कारित किया गया हो। अर्थात् हत्या जैसा अपराध क्रूरता पूर्वक किया गया हो तो वह मृत्यु दण्ड जैसी सजा के परिधि में विचारणीय हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अभियुक्त के सजा के बाबत जो विचार व्यक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैः– The measure of punishment in a given case must depend upon the atrocity of the crime; the conduct of the criminal and the defenceless and unprotected state of the victim. Imposition of appropriate punishment is the manner in which the courts

respond to the society cry for justice against the criminals. Justice demands that courts should impose punishment befitting the crime so that the courts reflect public abhorrence of the crime. The courts must not only keep in view the rights of the criminal but also the rights of the victim of crime and the society at large while considering imposition of appropriate punishment. Where an accused does not act on any spur–of–the–moment provocation and he indulged himself in a deliberately planned crime and meticulously executed it, the death sentence may be the most appropriate punishment for such a ghastly crime. It is true that the court must respond to the cry of the society and to settle what would be the deterrent punishment for an abominable crime. It is also equally true that a larger number of criminals go unpunished thereby increasing criminals in the society and law losing its deterrent effect. .It is also true that the peculiar circumstances of a given case often results in miscarriage of justice and makes the justice delivery system a suspect; in the ultimate analysis, the society suffers and a criminal get encouraged. Sometimes it is stated that only rights of criminals are kept in mind, the victims are forgotten.

वर्तमान मामला पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में यह उल्लेखित किया कि किसी

<u>व्यक्ति की हत्या में एक शरीर की मृत्यु होती है जबकि बलात्कार जैसे घृणित अपराध में एक आत्मा की मृत्यु होती है।</u> इससे यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी बलात्कार के मामले को हत्या से भी अधिक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है। <u>हमारे हिन्दू समाज में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है।</u> माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि बलात्कार में एक आत्मा की मृत्यु होती है जो कि बलात्कार की गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय में यह स्पष्ट रूप से निर्णित किया** कि <u>"किसी महिला का शरीर एक मन्दिर के समान है, वह उस मन्दिर में किसका प्रवेश चाहती है और किसका प्रवेश नहीं चाहती है, यह महिला के इच्छा पर निर्भर करता है, कोई जबरदस्ती उसके मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता।"</u> मौजूदा प्रकरण में अभियुक्तगणों ने नाबालिग पीड़िता के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसके शरीर पर विभिन्न चोटें पहुंचायी। और वह उसे मरा समझ कर रेलवे लाइन के किनारे छोड़ कर चले गये। इतना ही नहीं, अभियुक्तगणों ने नाबालिग पीड़िता को बांयी आंख से हमेशा के लिए अन्धा कर दिया और उसके चेहरे को बदसूरत बना दिया। <u>इस प्रकार अभियुक्तगणों ने, या यूं कहे कि हवस के नर पिशाचों ने न सिर्फ नाबालिग पीड़िता के शरीर रूपी मन्दिर में जबरदस्ती प्रवेश किया बल्कि उस मन्दिर को ही तोड़ फोड़ कर ध्वस्त करने का प्रयास किया।</u>

यह अजीब विडम्बना है कि हमारे भारत देश में शक्ति के रूप में मां दुर्गा की पूजा होती है, विद्या के लिए मां सरस्वती की पूजा होती है, धन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा होती है, नदियों को भी हम मां के रूप में दर्जा देते हैं और जिस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अन्य उच्च पदो पर आसीन महिलाएं रही हों, उस देश में एक नाबालिग पीड़िता के साथ इस तरह की जघन्य व क्रूरता पूर्वक सामूहिक दुष्कर्म किया जाना पूरे समाज पर एक प्रश्न चिह्न लगाता है। आखिर हमारा समाज क्यों इतना संकीर्ण हो गया है कि जब उसे शक्ति की आवश्यकता होती है तो वह मां दुर्गा का पूजा करता है, जब उसे धन की आवश्यकता होती है तो मां लक्ष्मी की पूजा करता है, जब उसे ज्ञान की

आवश्यकता होती है तो मां सरस्वती की पूजा करता है, जब उसे जल की आवश्यकता होती है तो मां गंगा की पूजा करता है, फिर वह क्यों देवियों के रूप में मौजूद अपने आस–पास की महिलाओं को हवस की नजर से भोग की वस्तु समझता है और अपने वासना की पूर्ति के लिए न सिर्फ बालिग महिलाओं को बल्कि छोटी–छोटी देवी स्वरूप बच्चियों को भी नहीं छोड़ता है। समाज में यदि इन हवस के दरिन्दों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जायेगी तो हर मां–बाप बेटी पैदा होने पर रोयेगा और यदि उस बच्ची को किसी तरह पालेगा, तो हर पल इस डर से जिन्दा रहेगा, कि कही कोई हवस का दरिन्दा उसकी बेटी को किसी पल हवस का शिकार न बना ले।

इस प्रकरण में पीड़िता के साथ अभियुक्तगणों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया है अपितु उसको बांयी आंख से अन्धा कर उसका चेहरा भी खराब कर दिया है। जब–जब पीड़िता अपने आपको आइने में देखेगी, तब–तब उसे अपने आप पर इस बात का दुख रहेगा, कि क्यों उसने बेटी के रूप में इस संसार में जन्म लिया। लोग अपने जीवन में एक बार मरते हैं और यह पीड़िता हजारों, लाखों बार मरेगी। पीड़िता के भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि यह वह देश है, जहां माता सीता को भी अपने पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि की वेदिका से गुजरना पड़ा था। न्यायालय यह उम्मीद करती है कि पीड़िता समय के साथ अपने दुखों को भुलने का प्रयास करेगी और यह जरूर कोशिश करेगी कि वह एक अच्छी जिन्दगी जिये और कभी भी किसी आवेश में आकर कायरों जैसी कोई आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगी।

चूंकि अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य धारा **३७६ DA** भा०द०सं० व धारा **५(जी)/६** पॉक्सो अधिनियम, दोनों में दण्डनीय है। परन्तु किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए दो अलग–अलग धाराओं में सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में धारा ४२ पॉक्सो अधिनियम प्रासंगिक है। जो इस प्रकार हैः–

४२. Alternate punishment.– Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under section 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA,

376DB, 376E, section 509 of the Indian Penal Code or Section 67B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.

चूंकि धारा ३७६ DA भा०दं०सं० में सजा कम है और **५(जी)**/**६** पॉक्सो अधिनियम में सजा ज्यादा है। बवजह इसके न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा **५(जी)/६** पॉक्सो अधिनियम में दण्डित किया जा रहा है।

<u>आदेश</u>

१. अभियुक्त **हलीम उर्फ खड़बड़** को धारा **५(जी)/६** पॉक्सो अधिनियम के तहत **मृत्यु दण्ड** (अभियुक्त को फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए) से दण्डित किया जाता है।

२. अभियुक्त **हलीम उर्फ खड़बड़** को धारा ३६३ भा०द०सं० के तहत **०७** साल का कठोर कारावास **और दस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

३. अभियुक्त **हलीम उर्फ खड़बड़** को धारा ३२५ भा०द०सं० के तहत **०७** साल का कठोर कारावास **और दस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

४. अभियुक्त **हलीम उर्फ खड़बड़** को धारा ३२६ भा०द०सं० के तहत **१०** साल का कठोर कारावास **और बीस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **दो साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

५. अभियुक्त **हलीम उर्फ खड़बड़** को धारा ३०८ भा०द०सं० के तहत **०७**

साल का कठोर कारावास **और दस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

६. अभियुक्त **रिजवान** को धारा **५(जी)/६** पॉक्सो अधिनियम के तहत **मृत्यु दण्ड** (अभियुक्त को फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए) से दण्डित किया जाता है।

७. अभियुक्त **रिजवान** को धारा ३६३ भा०द०सं० के तहत **०७ साल** का कठोर कारावास **और दस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

८. अभियुक्त **रिजवान** को धारा ३२५ भा०द०सं० के तहत **०७ साल** का कठोर कारावास **और दस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

९. अभियुक्त **रिजवान** को धारा ३२६ भा०द०सं० के तहत **१० साल** का कठोर कारावास **और बीस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **दो साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

१०. अभियुक्त **रिजवान** को धारा ३०८ भा०द०सं० के तहत **०७ साल** का कठोर कारावास **और दस हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक साल** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

११. अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा **इस अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि** सजा में समायोजित होगी। तथा जुर्माने के व्यतिक्रम को छोड़कर अन्य सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

१२. धारा **३५७ दं.प्र.सं.** के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड १,००,०००/– रूपये पीड़िता को **चिकित्सीय एवं मानसिक आघात** की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदत्त किया जावे।

१३. धारा **३५७ए दं.प्र.सं.** के परिप्रेक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण की पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर अदा करें। **निर्णय की प्रति दो दिन के अन्दर** अविलंब जिला विधिक प्राधिकरण को निःशुल्क नियमानुसार प्रेषित किया जावे।

१४. अभियुक्तगण **हलीम उर्फ खड़बड़ व रिजवान** का **सजायाबी वारण्ट बनाकर अविलंब** जिला कारागार प्रतापगढ़ में प्रेषित किया जावे। निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को निःशुल्क नियमानुसार प्रदान किया जावे।

१५. अभियुक्तगण **हलीम उर्फ खड़बड** व **रिजवान** को दिये गये मृत्यु दण्ड आदेश का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,खण्डपीठ लखनऊ से **धारा ३६६** दं.प्र.सं. के अन्तर्गत **दण्डादेश की पुष्टि** होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

१६. नियम ६४ जी.आर. क्रिमिनल १९७७ एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या ४७ दिनांकित २३.०४.१९५८ के अनुपालन में मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि हेतु मामला नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

१७. धारा **३६५** दं.प्र.सं. के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया जावे।

१८. जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को **इस निर्णय की एक प्रति** इस आशय का प्रेषित किया जावे कि वह पीड़िता को **उत्तर–प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष** से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदत्त करें और इस आदेश की तिथि से ०१ माह के अन्दर न्यायालय को यह सूचित करें कि उनके द्वारा पीड़िता को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदत्त की गयी अथवा नहीं की गयी। और यदि नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी।

दिनांक–०२.११.२०२२

ह०/–
(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
प्रतापगढ़।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–०२.११.२०२२ **ह०/–**

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
प्रतापगढ़।

स्टेनोः– ए.आर.एस.वाई.

Digitally signed by Pankaj Kumar Srivastava
Date: 2022.11.02 17:33:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court